UPBL010009422024

न्यायालय Additional District and Sessions Judge - 1, Ballia

पीठासीन अधिकारी– (Sri Punit Kumar Gupta), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06114

फौजदारी निगरानी 10/2024

कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ पुत्र लक्ष्मण वर्मा ग्राम– देवापुर, थाना– मनियर, जिला–बलिया ।

–––––निगरानीकर्ता

बनाम

1– उ०प्र० राज्य

2– रामजी पुत्र रामइकबाल राजभर

3– सविता पत्नी रामजी

4– अनिल राजभर पुत्र रामजी

5– धनन राजभर पुत्र रामजी

6– सुनील राजभर पुत्र रामजी

7– मनी राजभर पुत्र रामजी

8– रंजन पत्नी सुनील राजभर

9– खुशी पत्नी अनिल राजभर

10– मुन्ना पु० रामइकबाल राजभर

11– नाम अज्ञात पत्नी मुन्ना निवासी ग्राम –मनियर दियारा टुकड़ा नं० 2, थाना– मनियर, जिला– बलिया ।

12– रन्ना डोमिन पत्नी नामालूम निवासी– कस्बा– सिकन्दरपुर जल्पा देवी के स्थान के पास, थाना– सिकन्दरपुर, जिला – बलिया ।

विपक्षीगण----

Digitally signed by PUNIT KUMAR GUPTA
Date: 2026.08.04 16:53:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

निर्णय

1– निगरानीकर्ता कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ की ओर से विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम बलिया द्वारा प्रकीर्ण अपराधिक वाद .90/2023 कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ बनाम रामजी वगैरह अन्तर्गत धारा156(3) द.प्र.सं. थाना मनियर, जिला बलिया में पारित आदेश दिनांकित 04.01.2024 से झुब्ध होकर निगरानी संस्थित किया गया है।

2– संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि प्रस्तुत वाद के वादी मुकदमा कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ ने अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. इस आशय से प्रस्तुत की, कि –

''कि प्रार्थी कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ वर्मा पुत्र लक्ष्मण वर्मा ग्राम देवापुर (मनियर) थाना मनियर जिला बलिया का निवासी है। प्रार्थी का विवाह प्रेम सम्बन्धों के चलते रंजू राजभर पुत्री रामजी राजभर ग्राम मनियर दियारा टुकड़ा नं02 थाना मनियर जिला बलिया 12.06.2020 को सम्पन्न हुआ एवं उक्त विवाह का रजिस्ट्रार बलिया के यहाँ रजिस्ट्रेशन भी हुआ लेकिन रंजू के माता पिता एवं भाई इस विवाह से नाराज होने के कारण प्रार्थी पर मनियर थाना में मुकदमा कर दिये प्रार्थी गिरफ्तार हुआ न्यायालय से जमानत हुई, मुकदमा में सभी लोग गवाही दिये प्रार्थी व प्रार्थी के पत्नी रंजू राजभर के सम्बन्धों से एक पुत्र कान्हा सितम्बर 2021 में हुआ, उसके बाद ही गवाही न्यायालय में हुयी, उक्त के बाद नवम्बर 2021 में मेरी पत्नी रंजू को मेरे काम पर चले जाने पर तथा घर पर अकेले रहने पर रंजू के माता, पिता, भाई एवं भौजाई आकर रंजू को बहकाने फुसलाने लगे रंजू के माता पिता एवं भाई भौजाई के द्वारा घर में रखा मात्र 2000 रु० तथा घर मे रखे गहने लेकर पुत्र कान्हा अबोध मात्र 2 माह को छोड़कर रंजू का अपहरण कर लिवाकर चले गये, इस सम्बन्ध में काफी खोजबीन करने व बार बार रंजू के मायके जाकर पूछने पर कुछ भी बताने से इन्कार कर दिये। रंजू को उसके पिता रामजी पुत्र रामइकबाल राजभर, माता सविता पत्नी रामजी, भाई अनिल पुत्र रामजी, धनन पुत्र रामजी, सुनिल पुत्र रामजी तथा भाभी रंजन पत्नी सुनील, खुशी पत्नी अनिल घर में कैद कर रखते थे बाद में किसी रिश्तेदारी में कैद कर रखे रहे। प्रार्थी हार थक कर टाइपशुदा प्रार्थना पत्र रजिस्ट्री से श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना मनियर, बलिया व श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया को दिया, प्रार्थना पत्र पर पूछताछ होने पर रंजू के माता पिता, भाई

व भाभीगण जिनका नाम प्रार्थी द्वारा दिया गया है । रंजू से जबरदस्ती प्रार्थी पर गलत आधार देकर दिनाकं 3/1/2022 को न्यायालय प्रधान परिवार न्यायाधीश बलिया में तलाक का मुकदमा मु०नं० 9/2022 रंजू बनाम कृष्णा वर्मा दाखिल करवाये, प्रार्थी उक्तवाद में नियत तिथि पर न्यायालय आया रंजू को कैद से आने नहीं दिया गया। मैं प्रार्थी अनवरत प्रयास करता रहा कि मेरी पत्नी रंजू से प्रार्थी की मुलाकात हो जाये एवं अबोध कान्हा को लेकर रंजू के मां बाप के दरवाजे पर गया कि अबोध कान्हा पर दया आ जाये लेकिन रंजू के मां बाप, भाई लोग व भाभी लोग मिलना तो दूर व कान्हा पर भी दया न कर मुझे कान्हा सहित अपमानित गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देकर धक्का देकर भगाये मैं हार एक कर दिनार्क 21.03.2022 को विदाई का मुकदमा किया । यह पता चलने पर कि मेरी पत्नी रंजू को कान्हा की मां को उसकी मां सविता देवी, भाभी रंजन, खुशी पिता रामजी, भाई अनिल, सुनील व धनन, मनी चाचा मुन्ना राजभर व उसकी पत्नी व अन्य लोग रन्ना डोमिन निवासिनी जल्पा देवी मन्दिर सिकन्दरपुर थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया के साजिश में रंजू के मर्जी के खिलाफ राजस्थान मे जोधपुर स्त्री में 2 लाख रूपया में बेच दिये है। यह पता चलने पर प्रार्थी रन्ना डोमिन से जाकर मिला और पूछा तो वह बताई कि अनिल के बहिन को पूछ रहे हो, मेरे हाँ कहने पर उसने कहा कि आस छोड़ों वह राजस्थान गयी पता कितनो के पास गयी हो, तब यह पता चला कि रन्ना डोमिन दियारा मे गरीब घर की लड़कियो को उनके मां बाप घर वालों को पैसा देकर लड़कियों राजस्थान में बेचवा देती है, चूंकि घर वाले पैसा लिये रहते है कही कोई दरखास्त भी नहीं देता है। मेरी पत्नी को उसके इच्छा के विरुद्ध मेरे घर से अपहरण उसके मां, बाप, भाईगण व भाभीगण मेरे अबोध बच्चे कान्हा से कर पहले तो कैद में रखे और अब उसे बेच दिये है, मैं पता लगाता कही पता नहीं चल रहा हैँ । रंजू को आनर किलिंग के लिए या तो उसकी हत्या की गयी है या बेचा दिया गया है जहां वह बलात कैद में है। इस सम्बन्ध में पुनः दिनांक 15/04/2023 को प्रार्थना पत्र श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय थाना मनियर, बलिया व पुलिस अधीक्षक महोदय बलिय को दिया हूँ । विपक्षीगण का कृत्य गम्भीर एवं संज्ञेय अपराध का है प्रकरण मे साक्ष्य का संकलन प्रार्थी के नियंत्रणाधीन नहीं है। न्यायहित पुलिस विवेचना आवश्यक है । अतः प्रभारी निरीक्षक थाना मनियर को उक्त घटना के बारे मे प्रथम सूचना रिपोर्ट

दर्ज कर विवेचना करने आदेश देने की याचना की गयी हैं ।

3– प्रार्थी / वादी द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं न्यायालय में संस्थित किया। प्रार्थी / वादी को सुनने के उपरान्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2024 को यह आदेश पारित किया गया कि–

''प्रस्तुत प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है और पत्रावली वास्ते साक्ष्य धारा 200 द.प्र.स. दिनांक 29.02.2024 को पेश हो।''

4– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 04.01.2024 से क्षुब्ध होकर प्रार्थी / निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत फौजदारी निगरानी इस आधार पर संस्थित की गयी है कि–

न्यायालय अधीनस्थ द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग न कर यान्त्रकीय ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित किया है। प्रश्नगत आदेश पारित पुनरीक्षण न्यायालय अधीनस्थ अशुद्ध, अनौचित्यपूर्ण व गलत है। न्यायालय अधीनस्थ में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रार्थी के रूप में प्रार्थना पत्र 156(3) द०प्र०सं० में पुनरीक्षणकर्ता की पत्नी रंजू राजभर को नवम्बर 2021 में पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के प्रतिपक्षीगण न० 2 लगायत 11 पुनरीक्षणकर्ता की अनुपस्थिति में रंजू राजभर व पुनरीक्षणकर्ता की अबोधसन्तान कान्हा तत्कालीन आयु मात्र 2 माह को छोड़कर एवं पुनरीक्षणकर्ता के घर रखे 2000 रू० एवं समस्त गहनों को लेकर रंजू को बहला फुसलाकर अपहरण करने तथा घर में कैद रखने व उसे प्रतिपक्षी संख्या 12 के सहयोग में साजिश कर 2 लाख रूपये में राजस्थानह जोधपुर में कही बेंच दिने के सम्बन्ध में है। जिसके क्रम में रंजू राजभर पत्नी पुनरीक्षणकर्ता की बरामदगी आवश्यक है जो बिना पुलिस विवेचना के सम्भव नही है न ही पुनरीक्षणकर्ता की क्षमता व नियन्त्रण में है, उक्त तथ्य के इतर न्यायालय अधीनस्थ द्वारा अभियुक्तों के नाम पता की जानकारी है, विवेचना कराने से नये तथ्य के प्रकाश में आने की संभावना नही है ऐसा निष्कर्ष गलत निकाला गया है। न्यायालय अधीनस्थ के प्रश्नगत आदेश अन्तर्गत पुनरीक्षण माननीय उच्च न्यायालय निर्णयज विधि के परिधि में तथ्यों से इत्तर है। अतः न्यायालय अधीनस्थ की पत्रावली आहूत कर पुनरीक्षणकर्ता को सुनकर पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालय अधीनस्थ दिनांकित 04.01.2024 को आपास्त करने की कृपा की जाए

5– निगरानीकर्ती/वादिनी ने अपने कथन के समर्थन में फार्म सबूत कागज सं0 5 ख के माध्यम से आदेश दिनांक 04.01.2024 की प्रमाणित प्रति फार्म सबूत कागज सं0 9 ख के माध्यम से एस०टी० सं० 472/20 सरकार बनाम कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ में पारित आदेश दिनांक 20.05.25 की प्रमाणित प्रति कागज सं० 9 ख /1 लगायत 9 ख/9 एवं फार्म सबूत कागज सं0 ख के माध्यम से वाद सं० 9/22 रंजू बनाम कृष्णा वर्मा विवाह विच्छेद प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति एवं आदेश दिनांकित 15.12.22 की प्रमाणित प्रति कागज सं० प्रस्तुत की है।

6– मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदार को सुना तथा पत्रावली का सम्यक रूपेण अवलोकन एवं परिशीलन किया।

7– निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया,जिसका निस्तारण करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है कि मामले के सारे तथ्य की पूर्ण जानकारी प्रार्थी/वादी मुकदमा को है, इसलिए मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करके कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

8– निगरानीकर्ता/ वादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दिये गये प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया जिससे यह विदित है कि वादी पत्नी रंजू को उसकी मां सविता देवी, भाभी रंजन, खुशी पिता रामजी, भाई अनिल, सुनील व धनन, मनी चाचा मुन्ना राजभर व उसकी पत्नी व अन्य लोग रन्ना डोमिन निवासिनी जल्पा देवी मन्दिर सिकन्दरपुर थाना सिकन्दरपुर, जिला बलिया के साजिश में रंजू के मर्जी के खिलाफ राजस्थान मे जोधपुर में 2 लाख रूपया में बेच दिये है। उपरोक्त तथ्यों की विवेचना पुलिस द्वारा करने पर ही प्रकाश में आ सकते हैं ।

वादी/निगरानीकर्ता द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3)द.प्र.सं.में यह कथन किया गया है कि विपक्षीगण ने उसकी पत्नी रंजू को उसकी मर्जी के खिलाफ राजस्थान में जोधपुर में 2 लाख रूपये में बेच दिये है परन्तु विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय इस कथन के सम्बन्ध में कारण सहित कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है बल्कि यह कहां गया है कि प्रार्थी को प्रार्थनापत्र में उल्लेखित समस्त तथ्यों अभियुक्तगण के नाम व पते आदि तथा घटना

स्थल संबंधी समस्त जानकारी है जो विधि विरूद्व होने के कारण न्यायसंगत नहीं है, क्यो कि बिना विवेचना के यह तथ्य प्रकाश में नहीं आ सकते कि घटना क्या हुई है ।

9– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्वान विचारण न्यायालय आलोच्य आदेश पारित करते समय सरसरी तौर पर न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये बिना आदेश पारित किया है। जिसमें विधिक त्रुटि कारित की गयी है एवं क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित सरवान अनिमियता कारित की गयी है इसलिए आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता है तद्सार निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार किये जाने एव आलोच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी सं0 10/24 कृष्णा वर्मा उर्फ बबुआ बनाम उ0प्र0 राज्य वगैरह स्वीकार की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 04.01.2024 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को यह निर्देशित किया जाता है कि निर्णय में दिये गये निर्देशो का पालन करते हुए पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

विद्वान अवर न्यायालय की मूल पत्रावली आदेश की एक प्रति के साथ अविलम्ब प्रतिप्रेषित किया जाए।

फौजदारी निगरानी सं. 10/24 नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो। पक्षकार अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.8.2026 को उपस्थित हों।

दिनांक 04.08.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं01,
बलिया।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 04.08.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं01,
बलिया।

नीरज सिंह, आशुलिपिक